14. जनजातीय शिक्षित युवाओं पर इलैक्ट्रांनिक उपकरणों का प्रभाव

डॉ. अनिता धुर्वे
वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक (रीड़र)
समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

प्रस्तुत शोध आलेख के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि आधुनिक यंत्र उपकरणों का महाविद्यालयी छात्र –छात्राओं पर कितना प्रभाव पड़ा है और साथ ही पहले के युवाजनों से आज के युवाओं के विचारों तथा व्यवहारों में कितना परिवर्तन आया है। यह शोध भोपाल जिले के चार महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर किया गया है। यह अध्ययन अनुसूचित जनजाति संवर्ग के 200 छात्र–छात्राओं पर किया गया। प्रत्येक महाविद्यालय से 50 विद्यार्थियों ने अध्ययन में भाग लिया। तथ्य संकलन के लिए अर्द्ध–संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

परिणाम : अध्ययन में महाविद्यालयी जनजातीय छात्र–छात्राओं से इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग, उन पर दिये गये समय, कितना व कहां प्रयोग करने तथा इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित प्रश्न किये गयें जिसमें छात्र– छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग 91: किया जाता है, ये आंकड़े इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रति छात्र– छात्राओं के आकर्षण को दर्शाते हैं। छात्र– छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन की उपयोगिता, बहुत ज्यादा उपयोगिता 52.67 : थोड़ा बहुत 31.00 प्रतिशत, बहुत कम 12.67 प्रतिशत व बिल्कुल नही 03.67 प्रतिशत अर्थात युवा पीढ़ी को फोन की उपयोगिता बहुत जरूरी महसूस होती है। वही कम्प्यूटर साक्षरता पर छात्र छात्राओं में 97.33 प्रतिशत साक्षर है। 2.67 प्रतिशत छात्र –छात्राओं में कम्प्यूटर का ज्ञान नही है। अतः महाविद्यालय छात्र –छात्राओं को कम्प्यूटर का ज्ञान है, जोकि आज के युवाओं को इलेक्ट्रानिक उपकरणों व ज्ञान को अपडेट करने के प्रति रूची दर्शाती है। कम्प्यूटर/ इन्टरनेट के प्रयोगों के

आधार पर छात्र –छात्राओं का जो अध्ययन के लिए 44.00 प्रतिशत प्रयोग करते है, चैटिग के लिए 35.00 प्रतिशत, गेम खेलने के लिए और जो निश्चत तौर पर कुछ नही बता पायें ऐसें 2.67 प्रतिशत है, अर्थात युवावर्ग अपने जीवन में इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहा है। छात्र –छात्राओं द्वारा प्रतिदिन कम्प्यूटर या इन्टरनेट का प्रयोग जैसे – 2 से कम घंटें प्रयोग करने वाले 10.67 प्रतिशत, 2–4 घंटे 51.66 प्रतिशत, 4–6 घंटे 35.00 प्रतिशत व जिन लोगो ने पर्याप्त जानकारी नही दी ऐसे 2.67 प्रतिशत पाए गए। ऐसे युवाजन जो प्रतिदिन कम्प्यूटर या इन्टरनेट का प्रयोग नही करते है, उनका प्रतिशत सबसे कम है।

छात्र–छात्राओं पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सकारात्मक प्रभाव 70 प्रतिशत व नकारात्मक 30 प्रतिशत, मनोरंजन के साधन के रूप में टी.वी. डिश्क 40 प्रतिशत, कम्प्यूटर में 30 प्रतिशत, रेडियों एफ.एम. 5 प्रतिशत, सिनेमा हाल जाना 5 प्रतिशत , खेल व पत्रिकाऐं मैगजीन 20 प्रतिशत पाया गया। जो छात्र –छात्राऐं छात्रावासों में निवासरत होकर पढ़ाई कर रहे है वे अधिकांशतः (42 प्रतिशत) मोबाईल, कम्प्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों मे चैटिग, सोशल साइड व विभिन्न प्रकार की फिल्में डाउनलोड कर देखते है। वे अधिकांश समय गलत चीजो को देखते व सर्च करने में लगाते है।

संक्षेप में, जनजातिय शिक्षित युवाओं को नवीन तकनीकी उपकरणों के उपयोग में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो उनके लिए अधिक शिक्षाप्रद व शिक्षा में सहयोग प्रदान करने में उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो तथा उनके आने वाले भविष्य को बनाने में सकारात्मक रूप में सहायक हो। आधुनिक परिपेक्ष्य में यह कहना उचित है कि ज्यादातर युवावर्ग को इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग शैक्षिक एवं उपयोगी आधार पर ही प्रयोग करना चाहिये। अनावाश्यक स्तर पर प्रतिबंध की पहल विकसित हो जो युवाओं को भ्रमित होने वाले रास्ते से एक उचित राह पर लाने का सशक्त माध्यम बने। युवावर्ग, जो राष्ट्र की नींव व भावी नागरिक है, उन्हे उन्नत व स्वस्थ्य जीवन प्रदान करने के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता व

शक्ति का उत्कृष्ट प्रर्दशन हेतु युवाओं को इलेक्ट्रानिक उपकरणों की अतीता से बचना होंगा, जिससे अपने शरीर व मस्तिष्क पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है। युवावर्ग को स्वस्थ्य शरीर रखने के लिए खेल, आध्यातमिक, एकाग्रता आदि को अपनाना होगा। युवाओं में किसी भी कार्य के प्रति जैसे पढ़ाई, व्यक्तित्व विकास, स्वस्थ्य सोशल चैटिंग आदि चीजों में नैतिकता को अपनाना होगा जिससे वर्तमान भावी पीढ़ी को बौद्धिकता, सामाजिकता व नैतिकता का ज्ञान प्राप्त होता रहे।

15. बालश्रम की समस्या

दिपाली सूर्यवंशी
शोद्यार्थी (समाजशास्त्र)
सरोजनी नायडू शासकीय गर्ल्स ग्रेजुएट महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में कुछ नयें आयाम भी कुछ क्षेत्रों में स्थापित हुये किंतु कुछ ऐसी सामाजिक समस्या है जिनका निदान नही हो पाया बल्कि ये सभी समस्याओं की जड़े गहरी होती गई है। उसमें बाल श्रम भी एक ऐसी समस्या है जो अपने लिए धीरे–धीरे विस्तार ले रही है। इस समस्या का संबंध निर्धनता से है। भारतीय समाज के करोड़ो की संख्या के लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। इन परिस्थिति में बाल श्रमिकों का पैदा होना एवं बनना स्वभाविक है। वस्तुतः ये बालक देश, समाज और परिवार की महत्वपूर्ण संपति है तथा ये देश के भावी कर्णधार भी है। इन्हें सुरक्षित एवं विकसित स्थिति प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी आधार पर बाल श्रमिकों की समस्याओं को जानने हेतु शोद्य पत्र प्रस्तावित है।

प्रस्तावित शोद्य अध्ययन हेतु भोपाल शहर के अंतर्गत कारखानों/दुकानों में कार्यरत 100 बालश्रमिकों के अध्ययन के लिए चयनित किया हैं तथा समाजशास्त्रीय प्रविधियों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित किया जायेगा । शोद्य अध्ययन के के उद्देश्य निम्नांकित है :–

1- बाल श्रम की स्थिति स्पष्ट करना;

2- बाल श्रण के कारण एवं उपायों का अध्ययन करना; और

3- बालश्रम के लिए बताए गए कानूनो तथा अभियानों की भूमिकाओ का अध्ययन।

ये कहॉ तक उत्तरदायी रही है, जिससे बाल श्रमिको को मुक्ति मिल सके इत्यादि आधार पर शोद्य प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण किया जावेगा। अध्ययन से स्पष्ट हैं कि बालक बालक होते हैं। ये देश के भावी कर्णधार है। इन्हे इनका बचपन जीने देना होगा।

16. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की समस्या

लक्ष्मी ठकुर
शोद्यार्थी (समाजशास्त्र)
सरोजनी नायडू शासकीय गर्ल्स ग्रेजुएट महाविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

भारत की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गॉवों में रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रो की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिम्ब है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं पर नजर डालना आवश्यक हो गया है। इसका कारण यह हैं कि भारतवर्ष उस गति से तरक्की नही कर पा रहा है। जिस गति से उसे करनी चाहिए। एक सौ इक्कीस करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और यह आबादी अधिकॉश रूप से गॉवों में ही है। हमारी आर्थिक प्रगति की दर 8 प्रतिशत के आसपास रही है, पर इसका पूरा लाभ गॉवों को नही मिला है। इसके भूखमरी और शिक्षा के अभाव में ग्रामीण रूप से विकसित नही हो पाते। भारत में नारी साक्षरता का प्रतिशत मात्र 65 –46 है। जाहिर हैं कि यह राष्ट्रीय औसत हैं और गॉवो में तो शिक्षा की हालत और भी खराब है। यहॉ महिलाऐं अशिक्षित ही रह जाती है। यहॉ सरकार महिलाओं को उच्चकोटि की स्वास्थ्य संबंधी सेवाऐ नही दे पाती। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को

इसी कारण हमारे गॉवों में जच्चा मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर काफी अधिक है। शिक्षा के अभाव में ग्रामीण महिलाऐं विकसित नही हो पाती। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्राप्त करने की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। हमने यहॉ ग्रामीण क्षेत्रो की कुछ ज्वलंत समस्याओं पर विचार किया है। समस्याये तो कई है जैसेः–

- विवाह संबंधी समस्याऐं
- परिवार संबंधी समस्याऐं
- धर्म संबंधी समस्याऐं
- महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण
- महिला स्वास्थय संबंधी समस्याऐं

ग्रामीण महिलाओं की समस्याऐं एक शोद्य एवं चिंतन का विषय है।

इसी आधार पर शोद्यार्थी द्वारा शोद्य प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावित शोद्यकार्य के लिए भारत में मध्यप्रदेश को अध्ययन का केन्द्र चयनित किया गया है तथा अध्ययन प्रविधि में समाजशास्त्र तथा प्राथमिक द्वितीयक तथ्यों के द्वारा साक्षात्कार विधि के द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

17. वर्तमान राजनीति में महिला आरक्षण एवं महिला समस्या

नीलम अहिरवार
शोद्यार्थी (समाजशास्त्र)
सरोजनी नायडू शासकीय गर्ल्स ग्रेजुएट महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

आधुनिक युग में लोकतंत्र की स्थापना से एक नारी जगत के लिए आशा की किरण दिखाई दी वहीं उसे पुरूषों के समकक्ष अधिकार प्रदान किये गये। वस्तुतः यह पुरूष प्रधान समाज के अंतर्गत पुरूष के अहम पर कड़ा प्रहार समझा गया किंतु वर्तमान परिपेक्ष्य में राजनीतिक जगत में अभी भी उनकी सशक्तता नही बन

पाई। यह उपेक्षित रवैया राजनैतिक विकास में बाधक प्रतीत होता है। महिला आरक्षण एवं महिला समस्या एक प्रश्नचिन्ह बना हुआ है, चुनावी प्रक्रिया में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार स्वार्थ लोलुकता नौकरशाही एवं अन्य प्रभाव ने महिला को राजनीति से पृथक नही रखा है, वस्तुतः उसे अपनी प्रतिद्वन्दी समझा है।

विश्वभर के संदर्भो में देखें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं अन्य परिपेक्ष्य में भी स्थिति उन्नतशील नही दिखाई देती। अतः महिला आरक्षण एवं महिला समस्या राजनीतिक परिपेक्ष्य में एक शोद्य एवं चिंतन का विषय है। इसी आधार पर शोद्यार्थी द्वारा शोद्य प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावित शोद्यकार्य के लिए जिला भोपाल को अध्ययन का क्षेत्र चयनित किया किया है तथा अध्ययन प्रविधि में समाजशास्त्र तथा प्राथमिक द्वितीयक तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित किया जावेगा।

शोद्य उद्देश्य के अंतर्गत

- राजनैतिक परिपेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति को जानना।
- महिला आरक्षण विरोध क्यों ?
- राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण एवं बाधाओं का अध्ययन व महिला की समकक्षता की स्थिति को स्पष्ट करना रहा है।

स्पष्ट हैं कि राजनीति में आरक्षण महिलाओं के लिए आवश्यक हैं वहीं इन क्षेत्र में महिलाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता प्रासंगिक है। वस्तुतः महिलाये घर चलाने में कुशलता का परिचय दे रही है। वहीं प्रशासन को बेहतर बनाने का हौसला रखती है।

18. मुसहर अनुसूचित जाति के बाल–श्रमिकों की समकालीन समस्याएँ

संजय कुमार पटेल
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग, काशी
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

बाल–मजदूरी सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि यह एक अन्तराष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या के आमानवीय पक्षो के कारण भारत में इसके निवारण के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा भी उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में अथक प्रयत्न किये जिसमें वह सफल भी हुए। अमेरिका में उन्नीसवीं सदी में बाल–मजदूरी की बहुत सारे उत्पादन क्षेत्रों में भरमार थी और लगभग 70 वर्षो के अथक प्रयास के बाद 1930 में बाल–मजदूरी प्रथा समाप्त हो सकी। किन्तु दुर्भाग्य है कि बाल–मजदूरों की कुल संख्या समूचे विश्व में कम होने के बजाए उसमें वृद्धि हो रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने समूचे विश्व में लगभग 18.6 करोड़ ऐसे बाल–मजदूरों की गणना की जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष के बीच थी और 17 वर्ष तक के बाल–मजदूरों की संख्या 24.55 करोड़ थी जिसमें अधिकतर बाल–मजदूरों की संख्या विकसित तथा विकासशील देशों में थी। हम अगर भारत के वरिदृव्य में बाल मजदूरों की बात करें तो एक भयानक एवं अमानवीय शोषण हमारे समक्ष उभर कर आता है। नन्हे एवं मासूम बच्चों को तरह–तरह के खतरनाक कार्यो में लगाया जाता है तथा अधिक समय एवं कम मजदूरी में उनसे कार्य लिया जाता है। बच्चों के माता–पिता की गरीबी, बीमारी, अशिक्षा एंव बेरोजगारी का फायदा उठा कर कुछ लोग तो बच्चों कों बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए विवश भी करते हैं। दूसरी तरफ वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के प्रयत्न में 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अपहरण करके, चुरा करके या उनके मासुमीयत का फायदा उठा करके उनको अच्छे जीवन के सुख सुविधाओं का लालच देकर मानव तस्करी का अवैध व्यापार किया जाता है। बच्चों को उनके घर से गायब कर के या माता–पिता से बच्चों को अच्छा काम दिलाने का झुठा

आश्वासन देकर उन्हें दूसरे जिलों, राज्यों एंव देशों में भेजा जाता है जहाँ उनके साथ क्रुरता की सारी हदे पार कर कार्य लिया जाता है। कार्य स्थल काफी खराब परिस्थितियों में होता है जहाँ उनके स्वास्थ्य, खान–पान, दवा, आदि की कोई खास सुविधा नहीं होती है। बाल–मजदूरी के प्रति एक तथ्य यह भी उभर कर सामने आ रहा है कि जो बच्चे किसी कारणवस अपना घर छोड़ कर भागते है वह भी दूसरे जिलों एवं राज्यों में बाल–श्रम रूपी सामाजिक बुराई में फस कर अपना भविष्य दाव पर लगा देते है।

19. धर्म, भूमंडलीकरण एवं जनस्वास्थ्यः सेनापुर गांव का अध्ययन

सपना मौर्य
इलाहाबाद

एक संस्था के रूप में धर्म की प्रमुख भूमिका है। धर्म अपने अनुयायियों को विश्वास, कार्यपद्यति और आपदा के समय धीरज प्रदान करता है। दुर्खीम के अनुसार जिन वस्तुओं को पवित्र माना जाता है। धर्म उनसे संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की एकीकृत प्रणाली है। धर्म के द्वारा समान विश्वासों और व्यवहारों के अनुयायी एक नैतिक समुदाय में एकबद्ध होते हैं, जिस प्रकार विकास एवं सामाजिक परिवर्तन समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रियायें है।

प्रस्तुत शोधपत्र इसी दिशा में एक प्रयास है। इसके अंतर्गत भूमंडलीकरण प्रक्रिया का जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। भूमंडलीकरण व धर्म का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी देखा गया है। प्रस्तुत शोध पत्र जौनपुर के केराकत तहसील के गांव सेनापुर में गहन क्षेत्रीय कार्य पर आधारित है।

इस शोधपत्र के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अन्वेषणात्मक और वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है और प्रतिमानित समाजशास्त्रीय प्रविधियों का जैसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव–निदर्शन, तथ्य–संकलन, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन तथा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग संपूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते अर्थात् संरचना में बदलाव नहीं चाहते किंतु लचीलापन आ गया है। धर्म और भूमंडलीकरण दोनों का समन्वय देखने को मिलता है, जैसे बच्चे को बुखार आ जाने पर पैरासिटामाल तो दी जाती है

परंतु नज़र भी उतारी जाती है एवं कुछ मातायें स्वस्थ करने के लिए व्रत भी करती हैं। अतः इसे हम भूमंडलीकरण के कारण जनस्वस्थ जागरूकता कह सकते हैं।

20. ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का समाजशास्त्रिय अध्ययन

डॉ. सोनिया नाग,
यू.जी.सी. – पोश्ट डॉक्टरेट
फैलो समाज भास्त्र विभाग,
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

भारतीय समाज में, महिलाओं की प्रस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमाणिक रही है। नियमित गृहकार्यो के साथ–साथ कृषि कार्य, वनोपज संग्रहण, पशुपालन व उत्पादों के विपणन इत्यादि के महत्वपूर्ण कार्यो में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनमें से लगभग तीन चौथाई महिलाएँ खेतीहर मजदूर के रूप में चिन्हित हैं। उक्त कार्य महिलाएँ बड़ी कुशलता से परम्परागत तरीके से करते आ रही हैं, किन्तु इन कार्यो में कड़ी मेहनत व समय अधिक लगने के बावजूद भी अच्छे व लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं होते रहे हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय का जीवन नकारात्मक सोच के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक व पिछड़ेपन का रहा है। भारतीय ग्रामीण महिलायें स्वाभाव से विनम्र, निरक्षर, अर्द्धसाक्षर, अबोध, सम्पत्ति व विहीन परम्पराओं एवं संस्कारों के जालों में जकड़ी हुई हैं।

विशेषकर ग्रामीण कृषक महिलाओं के भारीरिक एवं सामाजिक आदान जैसे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पीने का पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी कमी है, जबकि ये महिलाएँ कृषि एवं कृषि के अन्य कार्यो के बोझ तले दबी हुई हैं जो कि उन्हें मानसिक रूप से नीरसता प्रदान करती है। भारत में अधिकांश ग्रामीण महिलायें कृषि, मजदूरी के रूप में जैसे–निदाई, रोपाई एवं फसलों की कटाई जैसे कार्यो में संलग्न पाई गई हैं। अधिकतर महिलायें परम्परागत पारिवारिक कृषि मजदूर के रूप में पाई गई है। ये महिलायें कृषि मजदूरी का कार्य आस्कमिक रूप से भी करती हैं। वो भी गृहकार्य एवं बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के साथ–साथ। इस कार्य से उन्हें घर चलाने के लिये कुछ आय प्राप्त हो जाती है।

शोध अध्ययन में पाया गया कि संवैधानिक संरक्षण के बावजूद भी सामान्य वर्ग (2 प्रतिशत), पिछड़ा वर्ग (19 प्रतिशत) एवं अनुसुचित जाति व जनजाति वर्ग (79 प्रतिशत) महिलाओं को अधिक कठोर परिश्रम के बावजूद पुरूश की अपेक्षा पारिश्रमिक विसंगतिपूर्ण व्यवस्था की कठिनाईओं के साथ सामाजिक उत्पीड़न जैसे लिंगभेद, अस्प्रश्यता, अंधविश्वास, घरेलू हिंसा एवं भारीरिक भोशण का शिकार भी होना पड़ता है, इसके बावजूद 95 प्रतिशत महिलाओं को आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पुरूशों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है।

21. राजनैतिक में सक्रिय महिलाओ की समस्याए

राखी बाला सिंगारे
शोधार्थी
बरकत्तुलाह विश्वविद्यालय भोपाल

वैदिक काल में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में उनका महत्व था। परंतु मध्य काल में विदेशी आक्रान्ताओं के आगमन से महिलाओं की स्थिति का क्षरण होना शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति तो दूर बल्कि महिलाए कई प्रकार की कुप्रथाए कि शिकार हुई जो आज भी किसी ना किसी रूप में देखने को मिलती है। जैसे अशिक्षा, आत्मनिर्भरता की कमी, आर्थिक पराधीनता, पर्दा प्रथा आदि आधुनिक राजनीति में महिलाओ को काफी समस्याए आती है जो कि मुख्य रूप से महिलाओ की राजनैतिक – विचार धारा, सोच एवं जागरूकता की कमी होना है। आकडे बताते है कि महिलाओ में औपचारिक व परम्परागत शिक्षा का स्तर काफी कम है तो राजनैतिक शिक्षा की बात करना बेमानी होगा। आर्थिक पराधीनता के कारण महिलाए किसी प्रकार का निर्णय स्वयं नही ले पाती है। समाज व कई राजनेतिक दलो में व्यापत दूषित वातावरण के कारण भी महिलाओ का शिक्षित वर्ग भी राजनीती के क्षेत्र में कदम रखने से डरता है। निष्कर्षतः हम कह सकते है कुछ एक महिलाओ के नामो को यदि छोड़ दिया जाए तो विश्व सहित भारत का राजनैतिक पटल लगभग महिला–विहीन है। आज आवश्यकता है कि महिलाओ को इस प्रकार शिक्षित किया जाए जिससे महिलाओ में राजनीतिक समझ का विकास हो व राजनीति के क्षेत्र में महिलाओ की संख्या का विस्तार हो।

22. अनाथ बच्चों के समाजीकरण और समायोजन में अनाथालयों की भूमिका

सोमी अली
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

अनाथ बच्चों की समस्या भारत में विधित अन्य समस्याओं में से एक है। अधिकतर अनाथ बच्चे जो अनाथालयों में रहते हैं उनकी मूलभूत आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर अनाथालय अति संकुचित और जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इन सब के बावजूद योजना आयोग ने कभी भी अनाथ या परित्यक्त किए गये बच्चों के लिए कोई कार्यकारी दल या समिति नहीं बनाई। उनकी अब तक केवल उपेक्षा होती आई है। इन सुविधाहीन और

अभावग्रस्त बच्चों का कोई भी प्रतिदर्श सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है जिससे उनकी वास्तविक संख्या का ज्ञान हो सके। भारत सरकार द्वारा भी अनाथ बच्चों के लिए कोई विशेष नीति और विधान नहीं बनाया गया है। इतना अवश्य है कि छः दशकों के बाद केन्द्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम Integrated Child Protection Scheme (ICPS) 2009–10 बनाया। लेकिन यह कार्यक्रम उनकी वर्तमान दशा सुधारने में उतना योग्य नहीं है। भारत में बहुत से अनाथालय ऐसे भी हैं जो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रस्तुत प्रपत्र में अनाथ बच्चों की समस्याओं और उन समस्याओं को दूर करने में अनाथालयों की भूमिका का विवेचन किया गया है।